लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3697
उत्तर देने की तारीखः 17.03.2020

निजी क्षेत्र में जाति या आर्थिक आरक्षण नीति

3697. श्री डी. एम. कथीर आनन्दः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में जाति या आर्थिक आरक्षण लागू करने के लिए पहल की है;
(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार कार्यस्थल में विविधता को प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रोत्साहन प्रस्तावित कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ): औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्रदत सूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई संबंधी समन्वय समिति वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा गठित की गई थी। अभी तक, समन्वय समिति की 9 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। समन्वय समिति की पहली बैठक में, यह उल्लेख किया गया था कि सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर उपलब्धि हासिल करने का सर्वोत्तम उपाय उद्योग द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई करना है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण के संदर्भ में, उद्योग के प्रतिनिधियों का यह विचार है कि आरक्षण कोई समाधान नहीं है, फिर भी वे सरकार एवं समुचित एजेंसियों के साथ वंचित वर्गों, विशेषत: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी स्तरों पर मौजूदा भर्ती नीति में वृद्धि करने तथा उसमें विस्तार करने के लिए भागीदारी करने और साथ ही कौशल विकास एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।

तदनुसार, समावेशन हेतु शीर्ष उद्योग संघों ने अपनी सदस्य कंपनियों के लिए स्वैच्छिक आचरण संहिता (वीसीसी) तैयार की है जो शिक्षा, नियोज्यता, उद्यमिता और रोजगार के साथ सम्बद्ध है। उद्योग संघों के सदस्यों द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और कोचिंग आदि शामिल हैं।

उद्योग संघों की 9वीं बैठक में उनसे अनुरोध किया गया था कि वे सकारात्मक कार्रवाई करने में और ज्यादा सक्रियता दिखाएं ताकि इस पहल कार्य के लिए उनकी सदस्य कंपनियों के साथ पूर्ण दिवसीय सत्रों का आयोजन किया जा सके, गांवों का अंगीकरण और एससी/एसटी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके, अनुसंधान छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति दी जा सके और जनजातीय छात्रों के लिए आजीविका मार्ग-दर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में सहायता व योगदान किया जा सके और साथ ही रोजगार की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। उद्योग संघों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे एससी/एसटी समुदायों से कम से कम 25% प्रशिक्षुओं का नामांकन करें।

*****